ग्राम पंचायत भ्रान्ता, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिंमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भ्रान्ता, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत भ्रान्ता में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

1	श्री राजिन्दर पाल	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

1	श्रीमति मितुल धीमान	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत भ्रान्ता के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	16.31
2	7 व 7.2	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.16
3	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना।	0.10
4	8	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना खनन सामग्री हेतु अनियमित व्यय।	2.63
5	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना भुगतान करना ।	0.84
6	10	गलत गणना के कारण जी0एस0टी0 के रूप में अधिक भुगतान करना ।	0.02

भाग–दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण :–**

ग्राम पंचायत भ्रान्ता, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.10.2024 से 04.11.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	03/2023	05/2022
2023–2024	11/2023	07/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत भ्रान्ता, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440 दिनांक 04.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत भ्रान्ता विकास खण्ड सुलह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत भ्रान्ता के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग(₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022–23	356141	189344	20683	566168	33284	532884
2023–24	532884	103097	21819	657800	49832	607968

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत भ्रान्ता के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग(₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022–23	1534371	3062504.10	33489	4630364.10	3116888.10	1513476
2023–24	1513476	2011968.63	38254	3563698.63	1932559.63	1631139

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, 15th FC, SDP,RAY,SGSY,IWMP

		Own source, 5th State, VKVNY,		
A/c No. 20059013036	KCC Thural	RGSA, SDP		1115708.39
A/c No. 50055925769	KCC Thural	14th FC		205323
A/c No. 3311000100589085	PNB Thural	15th FC		889489
A/c No. 20059063065	KCC Thural	RAY		3858
A/c No. 50056496410	KCC Thural	SGSY		5673
A/c No. 50055925838	KCC Thural	IWMP		15631
A/c No. 20059049926	KCC Thural	TSC		3425
cash in hand				188
			Total	2239295.39

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			607968
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC		23428
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		484312
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC		205323
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		889489
Cash Book Balance on 31.03.2024	IWMP		15631
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		0
Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY, SGSY, TSC		12956
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA		0
		Total	2239107
		diffrence	-188.39

अतः अन्तर की राशि ₹188.39 के कारणों बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.1 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 441 दिनांक 04.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या बीएच–9/2024 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग बैंक खाते न खोलना :–

निदेशक, पंचायत राज के पत्र सख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own Source, 5TH SFC, VKVNY, RGSA, SDP स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता संख्या 20059013036 के0सी0सी0बी0 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खाताबार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 442 दिनांक 04.11.2024 द्वारा उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या बीएच–9/2024 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

5. **निवेश** :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में ₹607968/– की राशि शेष थी।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. **अनुदान राशि ₹16.31 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना** :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹16,31,139/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्युो को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा यथास्थिति कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. **पंचायत राजस्व ₹0.13 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना**:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा

114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के प्रारूप 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का राजस्व ₹12520/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	10450	27600	38050	28900	9150
2023–2024	9150	27770	36920	24400	12520

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 443 दिनांक 04.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या बीएच–09/2024 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेगें तथा बकाया राशि ₹12,520/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 दुकान किराये के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने एवं किराये की राशि ₹0.03 लाख का वसूली हेतु शेष बारे ।

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय नहीं रखी जायेगी। अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आय बढ़ाने हेतु चार दुकानें किराये पर दी थी परन्तु पंचायत द्वारा नियमानुसार दुकान के किराये से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को **परिशिष्ट–2** अनुसार बकाया राशि ₹3200/– की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त दुकान किराये के अनुबन्ध पत्र तैयार नही किये गये थे, जबकि अनुबन्ध पत्र बनाये जाने अपेक्षित थे । अतः अनुबन्ध पत्र तैयार करके नियमानुसार किराये की बढौत्तरी हेतु शर्त को भी लगाया जाना सुनिश्चित करें ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 443 दिनांक 04.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या बीएच–09/2024 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि दुकान किराये के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे व बकाया राशि ₹3,200/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

वर्ष	अथशेष (₹)	दुकान किराये की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–23	0	28800	28800	20800	8000
2023–24	8000	28800	36800	33600	3200

अतः ग्राम पंचायतों के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने के सन्दर्भ में निदेशक एवं विशेष सचिव पंचायती राज विभाग (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 17.09.2008 व 26.08.2022 को जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना सहित अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत यथास्थिति कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹10,225/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को

विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹10,225/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2022–23	6500.00
2	2023–24	3725.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 444 दिनांक 04.11.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या बीएच–09/2024 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹2.63 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान **₹**2,63,051/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं

समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 445 दिनांक 04.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या बीएच–09/2024 दिनांक 21.11.2024 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यू प्राप्त नहीं किये गये है । अतः भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.84 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹84,401/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3446 दिनांक 04.11.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या बीएच–09/2024 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में निविदायें प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा ।

अतः नियमाविरूद्ध किये गये क्रय व्यय बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये अंकेक्षणावधि के दौरान कृत समस्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाना सुनिश्चित करें तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

10. **जी0एस0टी0 के रूप में ₹1782/– का अधिक भुगतान बारे ।**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सी0एस0सी0 हेतु फर्नीचर क्रय किया गया था परन्तु निम्नविवरणानुसार जी0एस0टी0 की गलत गणना अनुसार अधिक भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 447 दिनांक 04.11.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या बीएच–09/2024 दिनांक 21.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक किये गये ₹1782/– की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा :–

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
23, 31.06.23	105, शून्य	Sofa Five seater	22000.00	22000.00	1296.00
		Office Table	8000.00	8000.00	
		Center Table	2800.00	2800.00	
		Total	32800.00	32800.00	
		CGST 9%	3600.00	2952.00	
		SGST 9%	3600.00	2952.00	
		Grand Total	40000.00	38704.00	
23, 31.06.23	105, शून्य	Computer Table	9000.00	9000.00	486.00
		Chair	3300.00	3300.00	
		Total	12300.00	12300.00	
		CGST 9%	1350.00	1107.00	
		SGST 9%	1350.00	1107.00	
		Grand Total			

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

11. **विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया क़ि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन,

सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (ट)

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिससे सामग्री विशेष की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धता का पता नहीं लगाया जा सकता तथा सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

13. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

630-634 21 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)450/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत

5. सचिव, ग्राम पंचायत भ्रान्ता, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bharnta" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2	5 SFC	48401	288100	0	336501	352586	-16085
3	VKVNY	54415	410000	0	464415	382651	81764
4	14TH FC	193736	0	5526	199262	0	199262
5	15TH FC	1012974	1340747	27185	2380906	1160114	1220792
6	IWMP	14749	0	420	15169	0	15169
9	SDP	14651	8250	0	22901	22901	0
10	RAY, SGSY, TSC	12216	0	358	12574	0	12574
14	RGSA	183229	17997		201226	201226	0
16	MNREGA	0	997410.1	0	997410.1	997410.1	0
	Total Rs.	1534371	3062504.1	33489	4630364.1	3116888.1	1513476

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bharnta" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2	5 SFC	-16085	465510	0	449425	425997	23428
3	VKVNY	81764	575000	0	656764	172452	484312
4	14TH FC	199262	0	6061	205323	0	205323
5	15TH FC	1220792	115854	31349	1367995	478506	889489
6	IWMP	15169	0	462	15631	0	15631
9	SDP	0	0	0	0	0	0
10	RAY, SGSY, TSC	12574	0	382	12956	0	12956
14	RGSA	0	0	0	0	0	0
16	MNREGA	0	855604.63	0	855604.63	855604.63	0
	Total Rs.	1513476	2011968.63	38254	3563698.63	1932559.63	1631139

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP,RAY,SGSY,IWMP

A/c No. 20059013036	KCC Thural	Own source, 5th State, VKVNY, RGSA, SDP	1115708.39
A/c No. 50055925769	KCC Thural	14th FC	205323
A/c No. 3311000100589085	PNB Thural	15th FC	889489
A/c No. 20059063065	KCC Thural	RAY	3858
A/c No. 50056496410	KCC Thural	SGSY	5673
A/c No. 50055925838	KCC Thural	IWMP	15631
A/c No. 20059049926	KCC Thural	TSC	3425
cash in hand			188
		Total	2239295.39

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		607968
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	23428
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	484312
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	205323
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	889489
Cash Book Balance on 31.03.2024	IWMP	15631
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	0
Cash Book Balance on 31.03.2024	RAY, SGSY, TSC	12956
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	0

Total 2239107

diffrence -188.39

Checked

ग्राम पंचायत

प्रधान ग्राम पंचायत

Financial Position of Own sources in r/o GP Bharnta

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	356141	189344	20683	566168	33284	532884
2023-24	532884	103097	21819	657800	49832	607968

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o gp bharanta Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-2023	10450	27600	38050	28900	9150
2023-2024	9150	27770	36920	24400	12520

List of outstanding Shop Fees for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o gp bharanta Distt.Kangra,H.P. 0

	0	28800	28800	20800	8000
	8000	28800	36800	33600	3200

प्रधान ग्राम पचायत ... वि.ख. सुलह, जिला कांगड़ा

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

सचिव
ग्राम पचायत ...
विकास खण्ड ...
जिला कांगड़ा हि०प्र०

परिशिष्ट-3
(निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के संदर्भ में)

Gram Panchayat Bharanta dev block sullah 2022-23 and 2023-24

sr no	Head	Name of Work	BILL NO	Vender Name	BILL date	Payment Date	Sand (CFT)	Aggrigate (CFT)	Boulder cft)	Gatka	BRICKS	Amount
1	MNREGA	निर्माण आर वाल क्रे ट वाल शाइनिंग स्टार स्कूल पुली से मैन नाले टक (2022-23)	21	vishal construction & suppliers	04-11-2021	21-05-2022	0	0	800	0	0	19200
2	MNREGA	निर्माण गौशाला अजीत सिंह सपुत्र भगत राम की जमीन मैं 2022-23	152	M/S PALAM STONE CRUSER	07-03-2022	21-05-2022	170	0	0	0	0	6460
3	MNREGA	निर्माण आर वाल श्मशान घाट पजलेहड़ (2022-23)	22	vishal construction & suppliers	08-10-2021	21-05-2022	800	350	0	0	0	30800
			99	M/S PALAM STONE CRUSER	03-10-2021	21-05-2022	0	180	0	0	0	4500
4	MNREGA	निर्माण पंचवटी पार्क भारांता साई (कन्वर्जेंस)) (2022-2023)	15	M/S PALAM STONE CRUSER	18-09-2021	21-05-2022	130	250	0	0	0	10631
			98	M/S PALAM STONE CRUSER	18-10-2021	21-05-2022	80	150	0	0	0	6790
5	MNREGA	निर्माण वाटर टैंक चमन लाल सपुत्र वतना राम पंजलेहड (2022-23)	151	M/S PALAM STONE CRUSER	07-03-2022	21-05-2022	200	130	0	0	0	10850
1	MNREGA	निर्माण चैनलैजेशन क्रेट वाल उपर की तरफ नाले के दोनों तरफ सरवन और तिरलोक की जमीन पर वार्ड 1 (2023-24)	68	vishal construction & suppliers	26-04-2023	28-07-2023	0	0	1800	0	0	45000
			75	vishal construction & suppliers	28-05-2023	28-07-2023	0	0	1100	0	0	30800
2	MNREGA	निर्माण चेनलाइजेशन क्रेट/ सुरक्षा दिवार गुरवचन की जमीन से लेकर किशोरी लाल की खेती योग्य भूमि तक 2023-24)	71	vishal construction & suppliers	04-05-2023	28-07-2023	380	775	0	0	0	39985
			72	vishal construction & suppliers	28-05-2023	28-07-2023	410	895	0	0	0	44965
1	VKVNY	कम्प्लीसन कला मंच	76	vishal construction & suppliers	08-07-2023	23-07-2023	125	180	80			13070
		TOTAL										**263051**

16

(मोहर: ग्राम पंचायत ...)